न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 54/2019 (182/2014)
GCMS NO. : 2014/00013

–:: प्रार्थी ::–

1. आसीनखां पुत्र बाबुखां जाति–मुसलमान सिंधी निवासी केकिन्दडा तहसील जैतारण जिला–पाली।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. धर्मीचन्द पुत्र रमेश जाति सैन निवासी जसनगर तहसील रियाबड़ी जिला पाली।
2. तहसीलदार जैतारण लेण्ड होल्डर जिला पाली।
3. उपपंजीयन अधिकारी, जैतारण।
4. हल्का पटवारी केकिन्दडा तहसील जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 तथा धारा 151 सी.पी.सी.

तारीख रजू: 23/09/2019

उपस्थितः. 1. श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 01।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः 27/09/2021**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 तथा धारा 151 सी.पी.सी. के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायल की माता श्रीमती सहीदा के नाम की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा केकिन्दडा में स्थित है जिसके खसरा संख्या 336/2 रकबा 05 बीघा है जमाबन्दी की फॉटो स्टेट प्रति संवत् 2067 से 2070 तक की एवं पासबुक की फॉटो स्टेट प्रति प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न है। जो प्रार्थना–पत्र का एक भाग माना जावें। प्रार्थनापत्र के पेरा संख्या 01 में वर्णित आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर की कृषि भूमि सायल की स्वर्गीय माता सहीदा को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 03/06/1972 को नियमन करके आवंटित की थी तब से लेकर आज तक मौके पर संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। सायल स्वर्गीय सहीदा का जायन्दा पुत्र है और सायल के तीन सगे भाई अकबर, सफीरखां, इब्राहिम है जो सभी अलग–अलग रहते है। सायल एवं अकबर, सफीरखां, इब्राहिम तीनो स्वर्गीय सहीदा के विधिक उत्तराधिकारीगण है एवं जायन्दा पुत्र है। उक्त आराजी की कृषि भूमि पर पुराना कब्जा होने के कारण यह नियमन होने की परिधि में आने के कारण नियमानुसार कार्यवाही करके आवंटन करके सहिदा के नाम से सनद जारी की थी एवं खातेदारी अधिकार दिये गये और सहीदा के पति बाबूखां [illegible] समय से बाहर रहते थे इसलिये उक्त आराजी की कृषि भूमि आवंटन [illegible] के रूप में पिता ईस्माईलखां दर्ज किया गया था। वंश वृक्ष [illegible] आसीनखां क[illegible] खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.27 14:57:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

336/2 रकबा 05 बीघा कृषि भूमि में 1/4 वां हिस्सा है। इसी प्रकार अकबरखां का 1/4 हिस्सा, सफीखां का 1/4 हिस्सा व इब्राहिमखां का 1/4 हिस्सा है और इसी हिस्से माफिक मौके पर बंटी हुई है और कब्जा काश्त है और शांतिपूर्वक बिना किसी रोकटोक के उपयोग एवं उपभोग करता आ रहा है। पूर्व में सहीदा अकबरखां, सफीखां, इब्राहिमखां के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना-पत्र पेश किया था जिसमें सायल के हक में अस्थाई निषेधाज्ञा का स्थगन आदेश जारी हो रखा था जो सहीदा ने रेवेन्यु अपीलान्ट न्यायालय पाली में एक पक्षीय अपील करके अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 21/01/2014 का दिनांक 19/08/2014 को स्थगित किया गया जो दिनांक 22/09/2014 तक की पालना तक रोका गया इसके बाद चुपके-चुपके से सायल आसीनखां का हक छिनने एवं बेदखल करने की नियत से दिनांक 03/09/2014 जरिये सैलडीड के सहीदा ने उक्त आराजी की कृषि भूमि गैरसायल धर्मीचन्द को बेचान करके खातेदारी अधिकार हस्तान्तरण कर दिये बेचान रजिस्ट्री की फोटू प्रति इस प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न है। सायल आसीनखां की माता सहीदा वृद्धावस्था मे थी। अन्तिम समय तक चल फिर नही सकती थी और न ही बोलती थी लम्बे समय से बिमार थी सायल आसीनखां के भाई अकबरखा ने गैरसायल धर्मीचन्द से षडयन्त्र रचकर मिलीभगत करके सायल का हिस्सा हडपने की नियत से फर्जीवाडा करके अपने नाम रजिस्ट्री (दस्तावेज पंजीयन) करवाया था। जबकि दिनांक 03/09/2014 को सहीदा की मृत्यु हो चुकी थी जो जोधपुर मे मृत्यु हुई थी। जो सहीदा के मृत्यु प्रमाण-पत्र दिनांक 03/09/2014 की फोटू प्रति इस प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है। इससे स्पष्ट है कि गैरसायल धर्मीचन्द ने सायल के हिस्से की कृषि भूमि हडप करने की नियत से फर्जीवाडा करके रजिस्ट्री अपने नाम करवायी थी जो सायल आसीनखां की तरफ से गैरसायल धर्मीचन्द अकबरखां, गंगाराम माली, किशनाराम देवासी के विरुद्ध एक फोजदारी पुलिस थाना जैतारण मे दर्ज करवाया जो जेर अनुसंधान है इसकी फोटू प्रति इस प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है। दिनांक 01/11/2014 को गैरसायल धर्मीचन्द किराये की जे०सी०बी० लेकर एवं इसके साथ 20-25 आदमीयों को लेकर लाठियो से लैस होकर सायल आसीनखां के हक व कब्जे काश्त की उक्त आराजी की कृषि भूमि को हडपने एवं जबरदस्ती गैरकानूनी रूप से कब्जा करने की नियत से आये तो सायल आसीनखां ने मना किया तो भी नहीं माने और लडाई झगडा पर उतारू हुये तो सायल आसीनखां ने पुलिस थानाधिकारी आ० कालू को फोन किया तो मौके पर पुलिस जाप्ता आया और धर्मीचन्द व अन्य आदमियों को पकडकर जे०सी०बी० जब्त करके पुलिस थाना आ० कालू लेकर आयी जो कार्यवाही जेर अनुसंधान है। सायल आसीनखां स्वर्गीय सहीदा का जायन्दा पुत्र है यानि मुस्लिम विधि अनुसार मृतका सहीदा का वारिश विधिक उत्तराधिकारी है इसलिये मृतका सहीदा की चल एवं अचल सम्पति में विधिक उत्तराधिकारी होने के नाते सायल आसीनख[illegible] हिस्सा है एवं मौके पर कब्जा काश्त है और अपना हक प्राप्त करने [illegible] आसीनखां का खसरा नम्बर 336/2 रकबा 05 बीघा की कृषि भूमि [illegible] हिस्सा है इसी हिस्से माफिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.27 14:57:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

मौके पर कब्जा काश्त है और शांतिपूर्वक उपयोग एवं उपभोग करता आ रहा है। गैरसायल धर्मीचन्द ने फर्जीवाडा करके बाले बाले अपने नाम से रजिस्ट्री करवायी है जबकि मौके पर कब्जा काश्त नही है न ही राजस्व रेकर्ड मे धर्मीचन्द का नाम था। इसलिए सायल की तरफ से गैरसायलान् के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। सायल आसीनखां का उक्त आराजी की कृषि भूमि में 1/4 हिस्सा है इसी हिस्से माफिक मौके पर कब्जा काश्त है और शांति पूर्वक उपयोग/उपभोग करता आ रहा है। दौराने दावा प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी की कृषि भूमि गैरसायल धर्मीचन्द किसी भी अनजबी व्यक्ति को बेचान दस्तावेज गैरसायल संख्या तीन उपपंजीयन अधिकारी जैतारण के समक्ष प्रस्तुत करे तो इसका पंजीयन नही करे एवं बेचान दस्तावेज के आधार पर गैरसायल संख्या चार हल्का पटवारी कैकिन्दडा म्युटेशन नहीं भरे और गैरसायल संख्या दो तहसीलदार जैतारण के समक्ष म्युटेशन पेश करे तो स्वीकृत नही करे और न ही राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के मूल वादपत्र के निर्णय तक हमेशा हमेशा के लिये रोका जावे। सायल के स्वयं के शपथपत्र मौके पर कब्जा एवं दस्तावेजात से सायल का प्रथम दृष्टिया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन सायल के हक में बखुबी साबित है यदि लाठी के बल पर सायल को गैरकानूनी रूप से बेदखल कर दिया तो सायल को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी सूरत मे संभव नही होगी तीनो बिन्दू सायल के पक्ष में बखुबी साबित है इसलिये सायल के हक में गैरसायलान् के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना कानूनी रूप से आवश्यक है इसलिये यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का सायल की और से गैरसायलान् के विरूद्ध श्रीमान् के न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसलिये गैरसायलान् को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के वादपत्र के अंतिम निर्णय तक रोके जाने का आदेश फरमावे एव आराजी कृषि भूमि बेचान, बक्सीस, रहन, हस्तान्तरण नहीं करे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के हमेशा-हमेशा के लिये रोके जाने एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश फरमावें। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि सायल को अपने प्रार्थनापत्र के पेरा संख्या एक मे वर्णित आराजी की कृषि भूमि में 1/4 हिस्सा है कब्जा काश्त से बेदखल नही करे न ही काश्त मुतालिक कार्य में बाधा पहुचावें और किसी भी अजनबी क्रेता को बेचान, बक्सीस, रहन, हस्तान्तरण आदि नहीं करे वादपत्र के निर्णय तक रोका जावे एवं मौके की स्थिति व वर्तमान राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। प्रार्थनापत्र की रूह से अन्य कोई सहायता हो सायल को दिलावें।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल संख्या 2, 3 व 4 बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। गैरसायल संख्या 1 को जवाब प्रा.पत्र पेश करने हेतु ... अनेक अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रा.पत्र पेश नहीं करने ... जवाब प्रा.पत्र ... किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.27 14:57:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा हस्तगत प्रकरण के सम्यक् न्याय निर्णयन में मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार है–

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः–** पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 336/2 रकबा 05 बीघा ग्राम केकिन्दडा के संबंध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध दौराने मूल वाद विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की है। प्रार्थी/सायल द्वारा यह कथन किये गये है कि वादग्रस्त आराजी उनकी माता सहीदा को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 03/06/1973 को नियमन करके आवंटित की गई थी। प्रार्थी द्वारा यह भी कथन किये गये कि उनकी माता सहीदा का दिनांक 03/09/2014 को देहान्त हो चुका था तथा गैरसायल संख्या 01 ने दिनांक 03/09/2014 कूटरचित अवैध रूप से रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली। अप्रार्थी/गैरसायल संख्या 1 को अनेकानेक अवसर दिये जाने के पश्चात् भी उनके द्वारा जवाब प्रा.पत्र पेश नहीं किया गया। मूल वाद के अनुतोष के संबंध में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी का पूर्व में हस्तांतरण हो चुका है व आगे भी हस्तांतरण होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा होता है तो प्रकरण में अनावश्यक जटिलता बढ़ेगी। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी/सायल के पक्ष में साबित होता है।
2. **सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षतिः–** चुंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी/सायल के पक्ष में साबित हुआ है। साथ ही यदि वादग्रस्त आराजी का आगे भी हस्तांतरण होता है तो प्रार्थी को सुगम न्याय निर्णयन में अनावश्यक विलंब होगा जिससे निश्चित ही उसे अधिक असुविधा होगी तथा इसके फलस्वरूप उन्हें अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है। अतः सुविधा के संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिंदू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होते है।

उपरोक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हम मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी के वर्तमान राजस्व रेकर्ड की स्थिति को यथावत रखा जाना आवश्यक एवं उचित समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 तथा धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा केकिन्दडा तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 336/2 रकबा 5 बीघा के वर्तमान राजस्व रेकर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.27 14:57:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 27/09/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.27 14:57:16 IST
Reason: SelfAttested